



# मुसिकोट राजपत्र

मुसिकोट नगरपालिका द्वारा प्रकाशित

खण्ड ८) मुसिकोट, गुल्मी, असार २१ गते, २०८१ साल (संख्या: ५)

## भाग-१

मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी

मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१

प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा ३(१) बमोजिम मुसिकोट नगरपालिकाको नगरसभाले बनाएको देहाय बमोजिमको ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ३ बमोजिम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

## मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१

### प्रस्तावना:

मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम मुसिकोट नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** यस ऐनको नाम “ मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ रहेको छ । यो ऐन, २०८१ साल साउन १ गते देखि लागु हुनेछ ।
२. **सम्पत्ति कर** नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
३. **भूमि कर (मालपोत) :** नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
४. **घर वहाल कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।
५. **व्यवसाय कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

७. **सवारी साधन कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
८. **विज्ञापन कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
९. **मनोरन्जन कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१०. **बहाल बिटौरी शुल्क:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूची (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा वा अन्य संरचनावापत सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
११. **सेवा शुल्क, दस्तुर:** नगरपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचिमा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट अनुसूचि (१०) मा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१२. **प्रमाणित तथा सिफारिस दस्तुर** नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने प्रमाणित तथा सिफारिस दस्तुरका लागि सेवाग्राहीबाट अनुसूचि (११) मा व्यवस्था भए अनुसारको दस्तुर लिइने छ ।
१३. **पर्यटन शुल्क:** नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूचीमा (१२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम शुल्क लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।
१४. **दहस्र बहत्तर बिक्री शुल्क :** यस नगरपालिका भित्र रहेका नदीजन्य पदार्थहरु ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अनुसूची (१३) मा उल्लेखित भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का वा अमानत प्रक्रिया मार्फत वा कार्यापालिकाबाट तोकिएको व्यवस्था बमोजिम बिक्री गरी राजश्व जम्मा गरिनेछ ।

१५. घर जग्गा नक्सा पास शुल्क : घर जग्गा नक्सा पास अनुसूची (१४) मा भएको व्यवस्था बमोजिम शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१६. कर, दस्तुर तथा शुल्क सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस अधि मुसिकोट नगरपालिकाबाट बनेका कानूनमा उल्लेख भएका कर, दस्तुर तथा शुल्क सोही बमोजिम हुनेछ । यस ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा अडकाउ फुकाउन परेमा राजस्व परामर्श समितिको सिफारीसमा कार्यपालिकाले बाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने छ ।
- (२) व्यवसाय नविकरण र अन्य व्यवस्था अनुसूची १५ बमोजिम हुनेछ ।
१७. कर छुट: यस विधेयक बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन ।
१८. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले तोकेअनुसार हुने छ ।

### अनुसूची (१)

दफा २ सँग सम्बन्धित

एकिकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर

| क्र. स. | शिर्षक  | आ.ब.२०८१।८२ को दर | कैफियत |
|---------|---|-------------------|--------|
| १       | जस्तापाता, स्लेट ढुङ्गा, टायल छाना भएको कच्ची घर प्रति वर्ष | ३००               |        |
| २       | छाप्रो, खरको छाना आदी भएको कच्ची घर प्रति वर्ष              | छुट               |        |
| ३       | अर्धपक्की घर न्युनतम (प्रतितला थप रु ५० )                   | ३००               |        |
| ४       | पक्की घर प्रति कोठा (बहालमा गएकोमा बाहेक)                   | १००               |        |

अनुसूची (२)

दफा ३ सँग सम्बन्धित

भूमी कर

| क्र.स | शिर्षक   | आ.ब.२०८१।८२को दर | कैफियत |
|-------|--|------------------|--------|
| १     | <b>क वर्गका प्रमुख बजार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाजमिनको न्यूनतम प्रति वर्ष :</b> |                  |        |
|       | १ रोपनी सम्म न्यूनतम प्रति वर्ष  | ७०               |        |
|       | ३ रोपनी सम्म प्रतिरोपनी प्रति वर्ष   | ७०               |        |
|       | ५ रोपनी सम्म प्रतिरोपनी प्रति वर्ष   | ८०               |        |
|       | १० रोपनी सम्म प्रतिरोपनी प्रति वर्ष  | ९०               |        |
|       | १० रोपनी भन्दा माथी प्रतिरोपनी प्रति वर्ष                                    | १००              |        |
| २     | <b>ख वर्गका प्रमुख बस्ती क्षेत्रमा पर्ने जग्गाजमिनको न्यूनतम प्रति वर्ष</b>  |                  |        |
|       | १ रोपनी सम्म न्यूनतम प्रति वर्ष  | ३०               |        |
|       | ५ रोपनी सम्म प्रतिरोपनी प्रति वर्ष   | ३०               |        |
|       | १० रोपनी सम्म प्रतिरोपनी प्रति वर्ष  | ४०               |        |
|       | १० रोपनी भन्दा माथी प्रतिरोपनी प्रति वर्ष                                    | ५०               |        |
| ३     | <b>ग वर्गका क्षेत्रमा पर्ने जग्गाजमिनको न्यूनतम प्रति वर्ष</b>               |                  |        |
|       | १ रोपनी सम्म प्रति वर्ष  | १०               |        |
|       | १० रोपनी सम्म प्रतिरोपनी प्रति वर्ष  | १०               |        |
|       | ३० रोपनी सम्म प्रतिरोपनी प्रति वर्ष  | १५               |        |
|       | ५० रोपनी सम्म प्रतिरोपनी प्रति वर्ष  | २०               |        |
|       | ५० रोपनी भन्दा माथी प्रतिरोपनी प्रति वर्ष                                    | २५               |        |

**अनुसूची (३)**

दफा ४ सँग सम्बन्धित

घर जग्गा बहाल कर

| क्र. स. | शिर्षक  | आ.ब.२०८१।८२ को दर | कै फि यत |
|---------|---|-------------------|----------|
| १       | घर, जग्गा, टहरो, छाप्रो, पसल, ग्यारेज, गाडी, मेसिनरी जुनसुकै घरायसी वा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लिएकोमा भाडा रकमको | १० प्रतिशत        |          |

**अनुसूची (४)**

दफा ५ सँग सम्बन्धित

व्यवसाय शुल्क

| क्र. स. | शिर्षक   | आ.ब.२०८१।८२ को दर | कैफिय त |
|---------|--|-------------------|---------|
| १       | सामान्य चिया नास्ता पसल                        | १५००              |         |
| २       | मुख्य वजार क्षेत्र वाहेकका रेष्टुरेन्ट व्यवसाय | ३०००              |         |
| ३       | मुख्य वजार क्षेत्रका रेष्टुरेन्ट व्यवसाय       | ८०००              |         |
| ४       | मुख्य वजार क्षेत्र वाहेकका होटल मदिरासहित      | ५०००              |         |
| ५       | मुख्य वजार क्षेत्रका होटल मदिरासहित            | १२०००             |         |
| ६       | मुख्य वजार क्षेत्रका किराना पसल                | ३०००              |         |
| ७       | मुख्य वजार क्षेत्रबाहेकका किराना पसल           | २५००              |         |
| ८       | रिसोर्टहोटल बास र मदिरासहित                    | ५०००              |         |
| ९       | मुख्य वजार क्षेत्र का खाद्यान्न पसल            | ६०००              |         |
| १०      | मुख्य वजार क्षेत्र बाहेकका खाद्यान्न पसल       | ३०००              |         |

|   |  |       |  |
|---|--|-------|--|
| ० |  |       |  |
| १ | मुख्य बजार क्षेत्रका काँचो कपडा, तयारी पोशाक,<br>१ फेन्सी कपडा पसल       | ६०००  |  |
| १ | मुख्य बजार क्षेत्र बाहेकका काँचो कपडा, तयारी<br>२ पोशाक, फेन्सी कपडा पसल | ४०००  |  |
| १ | मुख्य बजार क्षेत्रका स्टेशनरी तथा खेलकूद सामाग्री<br>३ पसल               | ५०००  |  |
| १ | मुख्य बजार क्षेत्र बाहेकका स्टेशनरी तथा खेलकूद<br>४ सामाग्री पसल         | ३०००  |  |
| १ | मासु पसल   |       |  |
| ५ |  | ४०००  |  |
| १ | मुख्य बजार क्षेत्रका बाल काट्ने शैलुन                                    |       |  |
| ६ |  | २५००  |  |
| १ | मुख्य बजार क्षेत्र बाहेकका बाल काट्ने शैलुन                              |       |  |
| ७ |  | १५००  |  |
| १ | मुख्य वजार क्षेत्रका कस्मेटिक पसल, व्यूटि पार्लर                         |       |  |
| ८ |  | ३०००  |  |
| १ | मुख्य वजार क्षेत्र बाहेकका कस्मेटिक पसल, व्यूटी<br>९ पार्लर              | १५००  |  |
| २ | मुख्य वजार क्षेत्रका निर्माण सामाग्री, हार्डवयर पसल                      |       |  |
| ० |  | १५००० |  |
| २ | मुख्य वजार क्षेत्र बाहेकका निर्माण सामाग्री, हार्डवयर<br>१ पसल           | ५०००  |  |
| २ | प्रेस / छापखाना  |       |  |
| २ |  | ६०००  |  |
| २ | मुख्य बजार क्षेत्रका भाँडा पसल   |       |  |
| ३ |  | ४०००  |  |

|             |  |       |  |
|-------------|--|-------|--|
| २<br>४      | मुख्य बजार क्षेत्र बाहेकका भाँडा पसल                           | ३०००  |  |
| २<br>५      | मुख्य बजार क्षेत्रका भाँडा पसल, सेनिटरी र किचन वेयर समेत       | ६०००  |  |
| २<br>६      | मुख्य बजार क्षेत्र बाहेकका भाँडा पसल, सेनिटरी र किचन वेयर समेत | ४०००  |  |
| २<br>७      | मुख्य बजार क्षेत्रका मोटर साईकल वर्कसप                         | १०००० |  |
| २<br>८      | मुख्य बजार क्षेत्र बाहेकका मोटर साईकल वर्कसप                   | ६०००  |  |
| २<br>८<br>१ | मोटर साईकल सोरुम, वर्कसप सहित                                  | १५००० |  |
| २<br>९      | जिप, बस, ट्रक, टेक्टर, कार वर्कसप (म्यारेज)                    | १५००० |  |
| ३<br>०      | जिप, बस, ट्रक, टेक्टर, कार सोरुम                               | ४०००० |  |
| ३<br>१      | औषधि पसल   | १०००० |  |
| ३<br>२      | ल्याव, एक्सरे, सहितको औषधि पसल (पोलिक्लिनिक)                   | २०००० |  |
| ३<br>३      | पोलिक्लिनिक  | ३०००० |  |
| ३<br>४      | हस्पिटल, रिसर्च सेन्टर   | ५०००० |  |
| ३           | सुन चाँदी पसल  | १५००० |  |

|   |   |        |  |
|---|---|--------|--|
| ५ |   |        |  |
| ३ | घडि, रेडियो, मोवाईल, टि.भि.कम्प्युटर,             |        |  |
| ६ | ल्यापटप, मर्मत पसल                                | ५०००   |  |
| ३ | फ्रिज, घडि, रेडियो, टि.भि. कम्प्यूटर, ईलेक्ट्रीक/ |        |  |
| ७ | ईलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रोनिकस पसल मर्मत समेत         | १००००  |  |
| ३ | जल विद्युत आयोजना प्रति किलोवाट                   |        |  |
| ८ |   | ३००    |  |
| ३ | क्रसर उद्योग (अस्थायी)                            |        |  |
| ९ |   | १००००० |  |
| ४ | क्रसर उद्योग (स्थायी)                             |        |  |
| ० |   | २००००० |  |
| ४ | ईट्टा, ब्लक, उद्योग                               |        |  |
| १ |   | २००००  |  |
| ४ | प्लाष्टिक पसल                                     |        |  |
| २ |   | ३०००   |  |
| ४ | कम्यूनिकेसन सेन्टर, कम्प्यूटर सिकाई केन्द्र       |        |  |
| ३ |   | ३०००   |  |
| ४ | ट्यूसन कोचिङ्ग सेन्टर                             |        |  |
| ४ |   | ५०००   |  |
| ४ | निजी विद्यालय आधारभुत तह वार्षिक कर               |        |  |
| ५ |   | ५०००   |  |
| ४ | निजी विद्यालय माध्यमिक तह वार्षिक कर              |        |  |
| ६ |   | १००००  |  |
| ४ | आधारभुत विद्यालय (१-८) नयाँ दर्ता                 |        |  |
| ७ |   | २००००  |  |
| ४ | माध्यमिक विद्यालय (९-१२) नयाँ दर्ता               |        |  |
| ८ |   | ३००००  |  |
| ४ | तरकारी फलफूल खुद्रा पसल                           |        |  |
| ९ |   | २०००   |  |

|   |                                    |       |  |
|---|------------------------------------|-------|--|
| ४ | कृषि व्यवसाय दर्ता                 |       |  |
| ९ |                                    |       |  |
| १ |                                    | ५००   |  |
| ५ | तरकारी फलफुल पसल थोक बिक्रेता      | ४०००  |  |
| ५ | खुद्रा मदिरा पसल                   | ८०००  |  |
| ५ | मदिरा पसल थोक / डिलर               | १५००० |  |
| ५ | किराना, गल्ला, फेन्सी थोक बिक्रेता | १२००० |  |
| ५ | टेलर्स पसल                         | ३०००  |  |
| ५ | टेलर्स पसल काँचो कपडा सहित         | ६०००  |  |
| ५ | ग्रील उद्योग नयाँ दर्ता            | १०००० |  |
| ५ | फर्निचर उद्योग नयाँ दर्ता          | १०००० |  |
| ५ | फर्निचर सोरुम नयाँ दर्ता           | १५००० |  |
| ५ | कुटानी पिसानी ५ एच.पि. भन्दा ठुला  | ३५००  |  |
| ६ | तेलानी सहितको कुटानी पिसानी        | ५०००  |  |
| ६ | पान पसल                            | २०००  |  |
| ६ | एग्रो पसल दर्ता                    | ३०००  |  |
| ६ | सुर्तिजन्य पदार्थ विक्री पसल       | ५०००  |  |

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| ३      |   |  |   |
| ६<br>४ | घुम्टि पसल (औधोगिक प्रवर्द्धन बोर्डले रोकेको बाहेकका पसल साथै पसलको पान नं र संस्था दर्ता हुनुपर्ने )   | OJT विद्यार्थिहरुका लागि छुट                                 |   |
| ६<br>५ | मिष्ठान्न भण्डार  | ५०००   |   |
| ६<br>६ | पूजा सामाग्री पसल   | २५००   |   |
| ६<br>७ | क्याटरिङ्ग  | १००००  |   |
| ६<br>८ | टेन्ट, साउन्ड सिस्टम व्यवसाय  | १००००  |   |
| ६      | कृषि फार्म दर्ता  | ५००  |   |
| ७<br>० | होमस्टे संचालन  | २०००   |   |
| ७<br>१ | अन्य निकायमा दर्ता भएका व्यवसायीको नगरपालिकामा दर्ता शुल्क  | नरपालिकामा लाग्ने दर्ता शुल्कको २५ % कम हुने                 |   |
| ७<br>२ | स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु तथा सेवामा कुनै प्रकारको राजस्व असुली नगरिने । तर अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गरी मुसिकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार गर्ने पान नं र संस्था दर्ता भएका पोके वा घुम्टी व्यापारीले अनिवार्य रुपमा देहायबमोजिम नगरपालिका वा वडा कार्यालयमा राजस्व बुझाउनुपर्ने छ । |  |   |
|        | व्यवसायको प्रकृति   | चार पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गरी गरिने व्यापार (मासिक रु ) | मानिसले बोकेर गरिने व्यापार (मासिक रु ) |
|        | मर्मत संभार (कुकर , ग्यास चुल्हो लगायतका सामाग्री )   | ०  | ५००                                     |
|        |   |  | राजस्व नबुजाने स आवश्यक बन्द गर्न स     |

|  |      |      |   |
|--|------|------|---|
| भाँडावर्तन विक्री  | ३००० | १५०० | राजस्व नबुझाएमा जाने साथै आवश्यक ठानेमा बन्द गर्न सकिने |
| कपडा /फलफुल/ तरकारी आदि  | ३००० | १५०० | राजस्व नबुझाएमा जाने साथै आवश्यक ठानेमा बन्द गर्न सकिने |
| <p>तर कहिँकतै दर्ता नगरी अनाधिकृत रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायी/व्यक्तिलाई मानिसले बोकेको हकमा रु २,०००।- र सवारी साधन प्रयोग गर्नेको हकमा रु १०,०००।- जरिवाना गरी विक्री वितरणमा रोक लगाइनेछ ।</p> |      |      |   |

### अनुसूची( ५)

दफा ६ सँग सम्वन्धित

जडिबुटी, बन्यजन्तु, कवाडी कर

| क्र.स | शिर्षक  | आ.ब.२०८१।८२ को दर         | कैफिय |
|-------|---|---------------------------|-------|
| १     | जडिबुटी (प्रचलित कानुनले बन्देज नगरेका वस्तु)   | विक्री मूल्यको १० प्रतिशत |       |
| २     | बन्यजन्तु (प्रचलित कानुनले बन्देज नगरेका वस्तु) | विक्री मूल्यको १० प्रतिशत |       |
| ३     | कवाडी कर वार्षिक एकमुष्ट                        | १५००००                    |       |

**अनुसूची (६)**

दफा ७ सँग सम्बन्धित

सवारी साधन कर

| क्र.स | शिर्षक                                      | आ.ब.२०८१।८२ को | कैफिय |
|-------|---|----------------|-------|
| १     | ई- रेक्सा दर्ता/ सुचिकृत                    | ७५०            |       |
| २     | तिनपाप्रे भाडाका सवारी साधन दर्ता / सुचिकृत | १०००           |       |

**अनुसूची (७)**

दफा ८ सँग सम्बन्धित

विज्ञापन कर

| क्र | शिर्षक  | आ.ब.२०८ | कै |
|-----|---|---------|----|
| १   | प्रति स्क्वार फुट होडिङ्ग बोर्ड विज्ञापन प्रति वर्ष | ४०      |    |

**अनुसूची (८)**

दफा ९ सँग सम्बन्धित

मनोरञ्जन कर

| क्र .स | शिर्षक   | आ.ब.२०८<br>१।८२ को<br>दर | कै<br>फि<br>यत |
|--------|--|--------------------------|----------------|
| १      | क्लव, आमा समुहले सञ्चालन गर्ने स्थानिय मेला आयोजना<br>३ दिन सम्म (३ दिन भन्दा वढी भएमा प्रतिदिन थप रु १००)       | ५००                      |                |
| २      | प्रदर्शनी, व्यापार, पर्यटन एवं औधोगिक मेला र खेलकुद १<br>हप्ता सम्म (१ हप्ता भन्दा वढी भएमा प्रतिदिन थप रु १०००) | १००००                    |                |
| ३      | प्रदर्शनी, व्यापार, पर्यटन एवं औधोगिक मेला र खेलकुद<br>मेला / मेला अवधिभरप्रति स्टल                              | १५००                     |                |

|   |  |            |  |
|---|--|------------|--|
| ४ | प्रदर्शनी, व्यापार, पर्यटन एवं औद्योगिक मेला र खेलकुद मेला / मेला अवधिभरप्रति इभेन्ट्स | २०००       |  |
| ५ | मेलामा कुल आम्दानी भएको नाफाको   | १० प्रतिशत |  |

### अनुसूची (९)

दफा १० सँग सम्बन्धित

बहाल विरौटी कर

| क्र | शिर्षक   | आ.ब.२    | कै |
|-----|--|----------|----|
| १   | नगर क्षेत्रमा आफुले निर्माण, रेखदेख र सञ्चालन गरेको हाटबजार र सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा सार्वजनिक बाटोको छेउमा अस्थायी पसल थाप्न दिए वापत प्रति वर्गफिट | १०       |    |
| २   | प्रतिदिन ट्रलि सहितको टयाङ्कर / ट्र्याक्टर भाडा(प्रयोग गर्दा लागेको इन्धन खर्च प्रयोगकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ )  | ४००<br>० |    |
| ३   | प्रतिदिन ट्रलि/टयाङ्कर मात्रको भाडा  | २००<br>० |    |
| ४   | ऐलानी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग वापत प्रति वर्गफिट   | ५        |    |

सरकारी सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा एफ एम टावर, टेलिभिजन टावर, टेलिफोन टावर वा यस्तै प्रकारका यन्त्र उपकरण जडान गरेवापत नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसारको राजस्व लिइने ।

### अनुसूची (१०)

दफा ११ सँग सम्बन्धित

सेवा शुल्क

| क्र.सं. | शिर्षक               | आ.ब.२०८१।८२<br>को दर | कैफियत |
|---------|----------------------|----------------------|--------|
| १       | स्थलगत सर्जिमिन वापत | १०००                 |        |

|      |  |        |  |
|------|--|--------|--|
| २    | अचल सम्पत्ति मूल्यांकन/आम्दानी प्रमाणित (०.१ प्रतिशत)                        | ०.००१  |  |
| ३    | अचल सम्पत्ति मूल्यांकन/आम्दानी प्रमाणितअंग्रजीमा (०.१५ प्रतिशत)              | ०.००१५ |  |
| ४    | निजी बाल विकास केन्द्र दर्ता शुल्क   | ५०००   |  |
| ५    | परीक्षा शुल्क अधिकृतस्तर छैठौ वा सो सरह पद                                   | १०००   |  |
| ६    | परीक्षा शुल्क पाँचौस्तर वा सो सरह पद   | ७००    |  |
| ७    | परीक्षा शुल्क चौथो स्तर वा सो सरह पद   | ५००    |  |
| ८    | परीक्षा शुल्क माध्यमिक तह शिक्षक   | १०००   |  |
| ९    | परीक्षा शुल्क आधारभुत तह शिक्षक (१-८)  | ७००    |  |
| १०   | परीक्षा शुल्क आधारभुत तह शिक्षक (१-५)  | ५००    |  |
| ११   | परीक्षा शुल्क बालविकास सहजकर्ता  | ५००    |  |
| ११.१ | परीक्षा शुल्क कार्यालय सहयोगी  | ३००    |  |
| १२   | मिलापत्र शुल्क   | १००    |  |
| १३   | टोल विकास संस्था दर्ता शुल्क   | १०००   |  |
| १४   | नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका क वर्गका बैंक तथा वित्तिय सस्था सञ्चालन दस्तुर | २५०००  |  |
| १५   | नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका ख वर्गका बैंक तथा वित्तिय सस्था सञ्चालन दस्तुर | २००००  |  |
| १६   | नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका ग वर्गका बैंक तथा वित्तिय सस्था सञ्चालन दस्तुर | १५०००  |  |
| १७   | नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका घ वर्गका बैंक तथा वित्तिय सस्था सञ्चालन दस्तुर | १००००  |  |
| १७.१ | रेमिट्यान्स लगायत अन्य वित्तिय संस्था (सहकारी संस्था समेत )                  | ५०००   |  |
| १८   | व्यवसायिक इजाजत सिफारिस (टेक्का  | ५००    |  |

|    |   |            |  |
|----|---|------------|--|
|    | बाहेक)  |            |  |
| १९ | घ बर्गाका निर्माण ब्यवसायी अनुमति पत्र शुल्क  | २५०००      |  |
| २० | घ बर्गाका निर्माण ब्यवसायी अनुमति पत्रनविकरण शुल्क  | १५०००      |  |
| २१ | घ वर्गाका निर्माण व्यावसायी अनुमति पत्र विलम्ब शुल्क १ वर्ष भित्र                                   | ५०००       |  |
| २२ | घ वर्गाका निर्माण व्यावसायी अनुमति पत्र विलम्ब शुल्क १ वर्ष नाघेपछी प्रतिवर्षका दरले हुन आउने शुल्क | ५०००       |  |
| २३ | स्थलगत प्राबिधिक सेवा शुल्क   | २०००       |  |
| २४ | डोजर सुचीकृत प्रति वर्ष (स्काभेटर)  | १५०००      |  |
| २५ | डोजर सुचीकृत प्रति वर्ष (भ्याकुलोडर)  | १००००      |  |
| २६ | कन्सल्टेन्सी सुचीकृत प्रतिवर्ष  | १५०००      |  |
| २७ | पेट्रोलपम्प प्रतिवर्ष   | ५०,०००     |  |
| २८ | ग्याँस डिलर प्रतिवर्ष   | ५०००       |  |
| २९ | सामुदायिक वन दर्ता  | ५०००       |  |
| ३० | सामुदायिक वनको विक्री आम्दानी   | १० प्रतिशत |  |
| ३१ | माछा मार्ने इजाजत वार्षिक प्रतिव्यक्ती (दरम,वडिगाड,निस्ती,छल्दी)                                    | ५००        |  |

### अनुसूची( ११)

दफा १२ सँग सम्बन्धित  
प्रमाणित तथा सिफारिस दस्तुर

| क्र.सं. | शिर्षक   | आ.ब.२०८१।८२<br>को दर | कैफियत |
|---------|--|----------------------|--------|
| १       | <b>घरवाटो सिफारिस</b>  |                      |        |
| १.१     | मूख्य सडक  | ५००                  |        |
| १.२     | शाखा सडक   | ३००                  |        |
| १.३     | गोरेटो बाटो  | २००                  |        |
| २       | <b>जग्गा नामसारी सिफारिस</b>                                 |                      |        |
| २.१     | न.पा.को केन्द्रको वडाको प्रमुख बजार क्षेत्र                  | ५००                  |        |
| २.२     | नगरपालिकाको केन्द्र वाहेकका वडाका बजार क्षेत्र               | ३००                  |        |
| २.३     | न.पा. को केन्द्रको वडा वाहेक अन्य वडाको बजार बाहेकका क्षेत्र | २००                  |        |
| ३       | <b>चौकिल्ला प्रमाणित</b>                                     |                      |        |
| ३.१     | चौकिल्ला प्रमाणित १० रोपनी सम्म                              | २००                  |        |
| ३.२     | चौकिल्ला प्रमाणित १० रोपनी भन्दा माथि                        | ३००                  |        |
| ४       | नाम, थर संशोधन सिफारिस                                       | २००                  |        |
| ५       | <b>घर कायम सिफारिस</b>                                       |                      |        |
| ५.१     | घर कायम सिफारिस (ढलान घर)                                    | ५००                  |        |
| ५.२     | घर कायम सिफारिस (ढलान बाहेक अन्य घर)                         | २००                  |        |
| ६       | छुट जग्गा दर्ताको सिफारिस दस्तुर                             | १०००                 |        |
| ७       | <b>विद्युत जडानको सिफारिस</b>                                |                      |        |
| ७.१     | विद्युत जडानको सिफारिस दस्तुर(घरयासी प्रयोजन)                | ३००                  |        |
| ७.२     | विद्युत जडानको सिफारिस दस्तुर(श्री फेज लाइन)                 | १०००                 |        |

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| ८    | ब्यवसाय, खानेपानी धारा, विद्युत मिटर आदिको ठाउँसारी तथा नाम संशोधन सिफारिस | ३००   |  |
| ९    | निजीधारा जडान सिफारिस दस्तुर   | ५००   |  |
| १०   | टेलिफोन / सि.सि.टि.भी. जडान सिफारिस दस्तुर                                 | ५००   |  |
| ११   | <b>बैदेशिक रोजगारको लागि सिफारिस(सार्कका सदस्य राष्ट्रहरु बाहेक)</b>       |       |  |
| ११.१ | खाडी मुलुकको लागि  | ५००   |  |
| ११.२ | माथि उल्लेखित बाहेक अन्य मुलुकको लागि                                      | १०००  |  |
| १२   | परिवार ल्याएको/लगेको सिफारिस   | ५००   |  |
| १३   | <b>नाता प्रमाणित दस्तुर</b>  |       |  |
| १३.१ | नाता प्रमाणित दस्तुर नेपाली  | २००   |  |
| १३.२ | नाता प्रमाणित अंग्रेजीमा दस्तुर  | ५००   |  |
| १४   | <b>वसोवास प्रमाणित</b>   |       |  |
| १४.१ | वसोवास प्रमाणित (बैदेशिक प्रयोजन)  | १०००  |  |
| १४.२ | वसोवास प्रमाणित (स्वदेशी प्रयोजन)  | २००   |  |
| १५   | नाफामूलक संस्था दर्ता/नविकरण   | ५०००  |  |
| १६   | सेवामूलक संस्था दर्ता/सिफारिस  | १०००  |  |
| १७   | संस्था बन्द भएको अथवा ठाउँ सारेको  | १५००  |  |
| १८   | मोही नामसारी सिफारिस   | ५००   |  |
| १९   | गैसस दर्ता / सिफारिस एनजिओ   | ५०००  |  |
| २०   | अन्तर्राष्ट्रिय गैसस दर्ता / सिफारिस आईएनजिओ                               | १०००० |  |
| २१   | क्लव , आमा समुह, बाल समुह दर्ता/ सिफारिस                                   | १०००  |  |
| २२   | सम्बन्ध विच्छेदको सिफारिस  | १०००  |  |
| २३   | <b>उद्योग स्थापनाको दर्ता / सिफारिस</b>                                    |       |  |

|      |  |       |  |
|------|--|-------|--|
| २३.१ | ठुला उद्योग स्थापनाको सिफारिस  | २०००० |  |
| २३.२ | मझौला उद्योग स्थापनाको सिफारिस   | ५०००  |  |
| २३.३ | साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता  | १५००  |  |
| २३.४ | साना तथा घरेलु उद्योग दर्ताको सिफारिस                                    | १०००  |  |
| २४   | रुख काट्ने सिफारिस प्रति गोटा (प्रतिबन्धित बाहेक स्वीकृत आवश्यक पर्नेमा) | ५००   |  |
| २५   | <b>पेन्सनपट्टा सम्बन्धी सिफारिस</b>                                      |       |  |
| २५.१ | नेपाली पेन्सनपट्टा सम्बन्धी सिफारिस                                      | ३००   |  |
| २५.२ | भारतीय पेन्सनपट्टा सम्बन्धी सिफारिस                                      | ५००   |  |
| २५.३ | अन्य मुलुकको पेन्सनपट्टा सिफारिस   | १०००  |  |
| २६   | <b>अपुताली सिफारिस</b>   |       |  |
| २६.१ | अपुताली सिफारिस (नेपालको लागि)   | १०००  |  |
| २६.२ | अपुताली सिफारिस (विदेशको लागि)   | ५०००  |  |
| २७   | जन्म, मृत्यू, विवाह प्रमाणित तथा सिफारिस (३५ दिन कटेपछि)                 | २००   |  |
| २८   | बसाईसराई (३५ दिन कटेपछि दर्ता हुन आउने र बसाई सरेर जादाँको बखत)          | २०००  |  |
| २९   | उल्लेखित बाहेकका अन्य विविध प्रमाणित तथा सिफारिस                         | २००   |  |
| ३०   | अंग्रेजीमा सिफारीस   | ५००   |  |
| ३१   | निजी विद्यालयको दर्ता सिफारीस (मा.वि.)                                   | ३०००  |  |
| ३२   | निजी विद्यालय कक्षा थपको सिफारिस   | २०००  |  |
| ३३   | <b>नागरिकतासिफारिस</b>   |       |  |
| ३३.१ | नागरिकता अनुसूची, निवेदन तथा सिफारिस                                     | १००   |  |
| ३३.२ | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस   | १०००  |  |
| ३३.३ | प्रतिलिपि नागरिकताको सिफारिस   | २००   |  |
| ३४   | <b>एफ.एम. सञ्चालन, इजाजत</b>   |       |  |

|      |   |                      |  |
|------|---|----------------------|--|
| ३४.१ | एफ.एम. सञ्चालन सिफारिस                          | १००००                |  |
| ३४.२ | एम.एम.सञ्चालन इजाजत दस्तुर १०० वाट सम्म सिफारिस | १५०००                |  |
| ३४.३ | एम.एम.सञ्चालन इजाजत नविकरण                      | अनुसूची १६(ख) बमोजिम |  |

### अनुसूची (१२)

दफा १३ सँग सम्बन्धित  
पर्यटन शुल्क

| क्र.सं. | शिर्षक                                       | आ.व. २०८१/८२<br>को दर | कैफियत |
|---------|--|-----------------------|--------|
| १       | तोकिएको पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क नेपाली | ५०                    |        |
| २       | तोकिएको पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क विदेशी | १००                   |        |

### अनुसूची (१३)

दफा १४ सँग सम्बन्धित  
दहत्तर बहत्तर शुल्क

| क्र. | शिर्षक  | आ.ब. २०८१/८            | कैफि |
|------|---|------------------------|------|
| १    | नदिजन्य निर्माण सामाग्री (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, पाँगो)<br>प्रति घनमिटर (भ्याट सहित) | प्रदेश दररेट<br>अनुसार |      |
| १.   | प्रति ट्रिप (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, पाँगो) ट्याक्टर                                  | प्रदेश दररेट<br>अनुसार |      |
| १.   | प्रति ट्रिप (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, पाँगो) टिप्पर मिनि                               | प्रदेश दररेट<br>अनुसार |      |
| ३    | प्रति ट्रिप (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, पाँगो) टिप्पर ६ चक्के                            | प्रदेश दररेट<br>अनुसार |      |
| १.   | प्रति ट्रिप (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, पाँगो) टिप्पर १०<br>४ चक्के                      | प्रदेश दररेट<br>अनुसार |      |

**अनुसूची (१४)**

दफा १५ संग सम्वन्धित  
घर जग्गा नक्सापास शुल्क

| क्र. | शिर्षक  | आ.ब.२०८१।८२ | कैफि |
|------|---|-------------|------|
| १    | घर जग्गा नक्सा पास मोटरबाटो (राजमार्ग)                    | ५           |      |
| २    | घर जग्गा नक्सा पास मोटरबाटो (मुख्य) आसपास प्रति वर्ग फिट  | ३           |      |
| ३    | घर जग्गा नक्सा पास मोटरबाटो (अन्य) आसपास प्रति वर्ग फिट   | २           |      |
| ४    | घर जग्गा नक्सा अभिलेखीकरण (पुरानो सम्पुर्ण प्रति वर्ग फिट | ४           |      |

**अनुसूची (१५)**

दफा १६ (२) संग सम्वन्धित  
निकासी कर

| क्र.सं. | शिर्षक                             | आ.ब.२०८१।८२<br>को दर | कैफियत |
|---------|------------------------------------|----------------------|--------|
| १       | गाई/भैसी/गोरु/घोडा (प्रति गोटा)    | ५००                  |        |
| २       | बाख्रा/भेँडा/च्याँगा ( प्रति गोटा) | १००                  |        |
| ३       | पंछी (प्रति गोटा)                  | १०                   |        |

**अनुसूची (१६)**

व्यवसाय नविकरण र अन्य व्यवस्था

क . व्यवसाय दर्ता नगरी संचालन गरेमा सो व्यवसाय बन्द गरिनेछ ।

ख . प्रत्येक व्यवसायको नविकरण दस्तुर सोही व्यवसाय दर्ताका लागि कायम भएको शुल्कको २५ प्रतिशत लाग्नेछ ।

ग. प्रत्येक वर्ष व्यवसायको असोज मसान्तभित्र नविकरण गर्नुपर्नेछ । असोज मसान्तपश्चात पौष मसान्तसम्म नविकरण गरेमा तोकिएको नविकरण दस्तुरको पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । सो अवधिपश्चात असार मसान्तसम्म नविकरण गरेमा तोकिएको दररेटमा पन्ध्र प्रतिशतले जरिवाना लाग्नेछ । नविकरण नै नगरी व्यवसाय संचालन गरेमा प्रत्येक वर्ष नविकरण दस्तुरको बीस प्रतिशतका हिसाबले जरिवाना लाग्नेछ ।

घ. कुनै एक प्रकृतिको व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन भईरहेको अवस्थामा अर्को प्रकृतिको व्यवसाय थप गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा उक्त व्यवसाय सुरु दर्ता गर्न लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्नेछ । (कानुन बमोजिम व्यवसायको नाम र उद्देश्य मिल्नेको हकमा)

ङ. कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरी सुराकी मार्फत असुल उपर भएकोमा असुल उपर भएको रकमको बीस प्रतिशत रकम सुराकी गर्नेलाई पुरस्कार स्वरुप दिईनेछ ।

च. निजी सम्पत्ति अन्तर्गत माटो र ढुङ्गा बिक्री गर्दा नगरपालिकालाई देहायबमोजिम रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ -

माटो - रु ३/क्युबिक फिट

ढुङ्गा - रु ५/क्युबिक फिट

छ. अनुमति नलिई निजी जग्गाबाट ढुङ्गा माटो बिक्री गरेमा देहायबमोजिमको जरिवाना लाग्नेछ-

१. ट्र्याक्टर प्रति ट्रिप रु ४,०००।-

२. ट्रिपर प्रति ट्रिप रु १५,०००।-

३. भ्याकुलोडर/स्काभेटर प्रति ट्रिप रु २५,०००।-

ज. अन्य सरकारी निकायमा दर्ता भएतापनि यस नगरपालिकामा व्यवसाय गर्ने जुनसुकै व्यवसायी अनिवार्य रुपमा सुचिकृत / आवद्ध हुनुपर्नेछ ।

झ. शिक्षा शाखाबाट छात्रवृत्तिको लागि सिफारिस गर्दा र ग्रेडसिटको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएवापत रु २००।- का दरले शुल्क लाग्नेछ ।

झ. नदिजन्य पदार्थको मुसिकोट नपा क्षेत्रभित्र अवैध उत्खनन गरी ओसारपसार गरेको पाइएमा पहिलोपटक देहायबमोजिम जरिवाना हुने र दोस्रो , तेस्रो पटक क्रमश सो अवैध कार्य गरेको पाइएमा जरिवाना दोब्बर हुँदै जाने ।

१. प्रति ट्रयाक्टर रु ८,०००।-

२. प्रति टिप्पर रु ३०,०००।-

प्रति भ्याकुलोडर/स्काभेटर रु ५०,०००।

प्रमाणिकरण मिति

२०८१।०३।१८

प्रशासकीय अधिकृत

मूल्य रु २०

आजाले,  
चेतनाथ गिरी  
प्रमुख